

**कार्यालय  
अविभाजित अधिनियम  
विद्युत वितरण निगम-द्वितीय  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
सहारनपुर, सहारनपुर।**

पत्रांक- 3477 / विविधविद्युत/सहारनपुर/वि०

विज्ञापन व्यवस्थापक

सहारनपुर

मेरठ (भारत)।

दिनांक- 11/02/25

विज्ञापन व्यवस्थापक

सहारनपुर

सहारनपुर (भारत)।

**विज्ञापन आदेश**

सूचना

कृपया सलमन न यह विज्ञापन वि० सूचना अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र में दिनांक 13/02/2025 तक के तक में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 8-10 पार्श्व टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 4-6 पार्श्व टाइप में (समाचार पत्रों के केवल एक कालम में) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। दैनिक व गीत का एक व चला तथा समाचार एक ही लाइन में दैनिक गैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली, बन्द रातों की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचनाएँ, बिजली बिजली के समझौते सूचना आदि का प्रकाशन द्वारा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा वि० सूचनाओं का प्रकाशन वि० हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अधिनियम भुगतान प्राप्ति रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन को दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ सम्भाल करती हुई भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को/अचोहस्ताक्षरी को (जहाँ भुगतान होकर स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
3. सलमन हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये सलमन अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अचोहस्ताक्षरी को सूचनाई अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपकी सूचना एव जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरे रक्षित न हो तो कृपया विज्ञापन को प्रकाशित न करें तथा अचोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
6. विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्रीय हित में बिजली बचाएँ का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की सख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निदेशों के विपरीत तथा गन्दे अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

सलमनक-1-विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति

भवदीय,

SHISHIR KUMAR CHANI  
Superintendent  
EDC-II, Saharanpur  
SAP 11007202

पत्रांक- 3477

/ दिनांक- 11/02/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क मेरठ को इस अनुदेश के साथ प्रेषित कि सलमनत नि०ए निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण) सहारनपुर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सहारनपुर।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ
4. उप मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, जोनल कार्यालय सहारनपुर।
5. अधिपारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर/रामपुरमनिहारन/नकुड।
6. NJJEL-1 (Docacc Center) Unit, PVVNL को डिक्राम की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
7. नोटिस बोर्ड


SHISHIR KUMAR CHANI  
Superintendent  
EDC-II, Saharanpur  
SAP 11007202

परिचयनामक विद्युत वितरण नियम वि०,

ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

ई-नि० सं० 102.103/डब्ल्यू/2024-25 :- मुख्य अधीनता एवं उपग्रह लेखांकिकरी राठारनपुर क्षेत्र, राठारनपुर कार्यालय हेतु डीजल चलित इन्जन कार्ग (डाइजल संचित) वित्तीय वर्ष 2025-26 का कार्य। (प्रारंभिक राशि कायः ₹० 3120.00) 104.105/डब्ल्यू/2024-25 :- वि०वि०स० द्वितीय एवं तृतीय गणितय के कार्यक्षेत्र में विभिन्न क्षमता के तयारित शक्तिग्रत परिकर्को को बदलने का रीति कायैक का कार्य (प्रारंभिक राशि कायः ₹० 2000.00) उपर्युक्त ई-निविदा 102.103 सुलने की तिनांक 10.03.2025 एवं 104.105 सुलने की तिनांक 25.02.2025 को 13.00 बजे तक जग की जायेगी तथा इनका प्रथम भाग उषी दिन 14.00 बजे के बाद खोला जायेगा। नि० की विद्युत जानकारी एवं नि० में यदि कोई संशोधन अथवा नि० सुलने की तिनि ने विस्तार होता है तो इसकी सूचना ई-टेंडर वेबसाईट [www.pvvml.org](http://www.pvvml.org) तथा नियम की वेबसाईट [www.cclender.up.nic.in](http://www.cclender.up.nic.in) पर उपलब्ध करयी जायेगी।

  
अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत वितरण मण्डल-द्वितीय, राठारनपुर

SMT. SMT. KUMAR CHAUDHARY  
Superintending Engineer  
EDC-II, Saharanpur  
SAP-11007202